should not only concentrate on units which have already become sick but should also pay attention to preventive measures. It was further recommended that the Industrial Committee would go into the case of each unit and prescribe appropriate remedies. The first meeting of the reconstituted Tripartite Committee on Cotton Textile Industry was held on February 21, 1992.

Testing facility for automobile parts

497. SHRI SUKOMAL SEN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to establish some testing facility for automobile parts in the country so that the menace spurious and sub-standard auto parts can be checked effectively; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P.J. KURIEN): (a) and (b) Facilities for testing of automobile parts exist at (i) Automotive Research Association of India, Pune, (ii) Vehicle Research & Development Establishment, Ahmednagar, (iii) Indian Institute of Petroleum, Dehradun, and (iv) Bureau of Indian Standards N. Delhi. At present, there is no proposal with the Government to set up a new institute for the purpose.

कामगारों की समस्याओं के अध्ययन के लिये त्रिपक्षीय समिति

498. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी और निजी क्षेत्र के कामगारों पर नई औद्योगिक नीति के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए कोई त्रिपक्षीय समिति या अन्य किसी समिति का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यह कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी; और

(घ) नई औद्योगिक नीति के कारण जो कामगार बेरोजगार हो जायेंगे उनके प्रति सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) से (ग) श्रमिक तथा अन्य संबंधित मामलों को प्रभावित करने वाली समस्याओं पर नयी औद्योगिक नीति के प्रभाव पर विचार करने के लिए श्रम मंत्रालय ने एक विशेष त्रिपक्षीय समिति का गठन किया है जिसमें केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों नियोक्ताओं के संगठनों और केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं । समिति की पहली बैठक दिनांक 21-12-1991 को बम्बई में आयोजित की गयी थी जिसमें यह निर्णय किया गया था कि बीमार औद्योगिक इकाइयों की पुनरीक्षा करने के लिए विभिन्न उद्योगों के बारे में दीर्घ अवधि से रुग्ण इकाइयों के पुनर्स्थापन तथा कर्मकारों के हित की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उन उद्योगों में जहां अधिक संख्या में रुग्ण इकाईयां हैं औद्योगिक समितियों की पुनरीक्षा के लिए सामान्य सिद्धांतों पर विशेष त्रिपक्षीय समिति विचार करेगी ।

नई दिल्ली में दिनांक 20-1-1992 को आयोजित दूसरी बैठक में यह निर्णय किया गया था कि पुनर्गठित औद्योगिक समितियां बीमार औद्योगिक इकाईयों की इकाई-वार समीक्षा करेंगी और उनको पुनर्जीवित करने के लिए समुचित उपाय सुझायेंगी ।

(घ) सरकार द्वारा घोषित नयी औद्योगिक नीति में कर्मकारों की अनिवार्यत छंटनी की परिकल्पना नहीं की गई है ।